रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012024-251625 CG-DL-E-29012024-251625

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] No. 65]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

सं. 06/2024-सीमाश्लक

सा.का.नि. 72(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

- सारणी में. -
 - (1) क्रम सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (2) क्रम सं. 340 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

558 GI/2024 (1)

- (3) क्रम सं. 368 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (4) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (5) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (6) क्रम सं. 403 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (7) क्रम सं. 479 के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (8) क्रम सं. 527क के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे:
- (9) क्रम सं. 527ख के सामने, स्तंभ (3) में, कॉलम (3) में, परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- II. दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. 190352/01/2024-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.िन. सं. 785 (अ) तारीख 30 जून 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 03/2024- सीमा शुल्क, तारीख 22 जनवरी, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i),में सा.का.िन. सं. 53 (अ) 22 जनवरी, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

No. 06/2024-Customs

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- I. in the Table, -
 - (1) against S. No. 237, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
 - (2) against S. No. 340, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
 - (3) against S. No. 368, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;

- (4) against S. No. 374, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
- (5) against S. No. 375, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
- (6) against S. No. 403, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
- (7) against S. No. 479, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
- (8) against S. No. 527A, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted;
- (9) against S. No. 527B, in column (3), in proviso for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted.
- II. In the second proviso, for the figures and words "31st March, 2024", the figures and words "30th September, 2024" shall be substituted.

[F. No. 190352/01/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 03/2024-Customs, dated the 22nd January,2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 22nd January, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

सं. 07/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 73(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 16- सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1965, संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 25 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
2.	अधिसूचना सं. 89- सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, संख्यांक सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
3.	अधिसूचना सं. 46- सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, संख्यांक सा.का.नि. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4.	अधिसूचना सं. 284- सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, संख्यांक सा.का.नि. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
5.	अधिसूचना सं. 207/89- सीमाशुल्क, तारीख 17	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च,

	जुलाई, 1989, संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित ।	2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
6.	अधिसूचना सं. 134/94- सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
7.	अधिसूचना सं. 147/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
8.	अधिसूचना सं. 148/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
9.	अधिसूचना सं. 151/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
10.	अधिसूचना सं. 152/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 581(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
11.	अधिसूचना सं. 153/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
12.	अधिसूचना सं. 39/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।v
13.	अधिसूचना सं. 50/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
14.	अधिसूचना सं. 51/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
15.	अधिसूचना सं. 25/98- सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
16.	अधिसूचना सं. 25/99- सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
17.	अधिसूचना सं. 97/99- सीमाशुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 727(अ), तारीख 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
18.	अधिसूचना सं. 25/2002- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2002, संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च 2002 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
19.	अधिसूचना सं. 113/2003- सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैराग्राफ में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

5

	T -	
20.	अधिसूचना सं. 30/2004- सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
21.	अधिसूचना सं. 45/2005- सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
22.	अधिसूचना सं. 81/2005- सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
23.	अधिसूचना सं. 102/2007- सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 14 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
24.	अधिसूचना सं. 26/2011- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
25.	अधिसूचना सं. 23/2016- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
26.	अधिसूचना सं. 05/2017- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
27.	अधिसूचना सं. 16/2017- सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
28.	अधिसूचना सं. 29/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
29.	अधिसूचना सं. 30/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
30.	अधिसूचना सं. 32/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
31.	अधिसूचना सं. 37/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
32.	अधिसूचना सं. 49/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
33.	अधिसूचना सं. 52/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

[फा. सं. 190352/01/2024-टीआरयू] विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण:

- मूल अधिसूचना सं.-16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 779(अ) 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 2. मूल अधिसूचना सं.-80-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 3. मूल अधिसूचना सं.-46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में में संख्यांक सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 4. मूल अधिसूचना सं.-248-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी जो संख्यांक सा.का.िन. सं. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 5. मूल अधिसूचना सं.-207/89-सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.िन. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 6. मूल अधिसूचना सं.-134/94-सीमाशुल्क, तारीख 22जून, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 7. मूल अधिसूचना सं.-147/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 8. मूल अधिसूचना सं.-148/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 577(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 9. मूल अधिसूचना सं.-151/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत

- के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 10. मूल अधिसूचना सं.-152/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 581(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसुचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 11. मूल अधिसूचना सं.-153/94-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 12. मूल अधिसूचना सं.-39/96-सीमाश्ल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 13. मूल अधिसूचना सं.-50/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 14. मूल अधिसूचना सं.-51/96-सीमाश्ल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 15. मूल अधिसूचना सं.-25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 16. मूल अधिसूचना सं.-25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 161(अ), तारीख 28 फरवरी 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 06/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 71(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 17. मूल अधिसूचना सं.-97/99-सीमाश्ल्क, तारीख 21 जुलाई, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 544(अ), तारीख 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

- 18. मूल अधिसूचना सं.-25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 06/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 71(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 19. मूल अधिसूचना सं.-113/2003-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 20. मूल अधिसूचना सं.-30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 21. मूल अधिसूचना सं.-45/2005-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 22. मूल अधिसूचना सं.-81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 23. मूल अधिसूचना सं.-102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 598(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 24. मूल अधिसूचना सं.-26/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 25. मूल अधिसूचना सं.-23/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

- 26. मूल अधिसूचना सं.-05/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 27. मूल अधिसूचना सं.-16/2017-सीमाशुल्क, तारीख 20अप्रैल, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 394(अ), तारीख 20अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 28. मूल अधिसूचना सं.-29/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 29. मूल अधिसूचना सं.-30/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 30. मूल अधिसूचना सं.-32/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 31. मूल अधिसूचना सं.-37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 32. मूल अधिसूचना सं.-49/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
- 33. मूल अधिसूचना सं.-52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2024

No. 07/2024-Customs

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 16-Cus, dated the 23 rd January, 1965, published <i>vide</i> number G.S.R. 126 (E), dated the 23 rd January, 1965	In the said notification, in the third proviso, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
2.	Notification No. 80-Cus, dated the 29 th August, 1970, published <i>vide</i> number G.S.R. 1246 (E), dated the 29 th August, 1970	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
3.	Notification No. 46/74-Cus, dated the 25 th May, 1974, published <i>vide</i> number G.S.R. 503 (E), dated the 25 th May,1974	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
4.	Notification No. 248-Cus, dated the 2 nd August, 1976, published <i>vide</i> numberG.S.R. 617(E), dated the 2 nd August, 1976	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
5.	Notification No. 207/89-Customs, dated the 17 th July, 1989, published <i>vide</i> number G.S.R. 702(E), dated the 17th July, 1989	In the said notification, in the second proviso, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
6.	Notification No. 134/94-Customs, dated the 22 nd June, 1994, published <i>vide</i> numberG.S.R. 525(E), dated the 22 nd June, 1994	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
7.	Notification No. 147/94-Customs, dated the 13 th July, 1994,published <i>vide</i> number G.S.R. 576(E), dated the 13 th July, 1994	In the said notification, In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
8.	Notification No. 148/94-Customs, dated the 13 th July, 1994, published <i>vide</i> number G.S.R. 577(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
9.	Notification No. 151/94-Customs, dated the 13 th July, 1994, published <i>vide</i> number G.S.R. 580(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
10.	Notification No. 152/94-Customs, dated the 13 th July, 1994, published <i>vide</i> number G.S.R. 581(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
11.	Notification No. 153/94-Customs, dated the 13 th July, 1994, published <i>vide</i> number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
12.	Notification No. 39/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996, published <i>vide</i> number G.S.R. 291(E), dated the 23 rd July, 1996	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
13.	Notification No. 50/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996, published <i>vide</i> number G.S.R. 302(E), dated the 23 rd July, 1996	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.

14.	Notification No. 51/96-Customs, dated the 23 rd July, 1996, published <i>vide</i> number G.S.R. 303(E), dated the 23 rd July, 1996	In the said notification, in the fourth paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
15.	Notification No. 25/98-Customs, dated the 2 rd June, 1998, published <i>vide</i> number G.S.R. 290(E), dated the 2 nd June, 1998	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
16.	Notification No. 25/99-Customs, dated the 28 th February, 1998, published <i>vide</i> number G.S.R. 161(E), dated the 28 th February, 1998	In the said notification, in the opening paragraph, in second proviso for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
17.	Notification No. 97/99-Customs, dated the 21 st July, 1999, published <i>vide</i> number G.S.R. 727(E), dated the 21 st July,1999	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
18.	Notification No. 25/2002-Customs, dated the 1 st March, 2002, published <i>vide</i> number G.S.R. 122(E), dated the 1 st March, 2002,	In the said notification, in the opening paragraph, in second proviso for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
19.	Notification No. 113/2003-Customs, dated the 22 nd July, 2003, published <i>vide</i> number G.S.R. 572(E), dated the 22 nd July, 2003	In the said notification, in the third paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
20.	Notification No. 30/2004-Customs, dated the 28 th January, 2004, published <i>vide</i> number G.S.R. 81(E), dated the 28 th January, 2004	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
21.	Notification No. 45/2005-Customs, dated the 16 th May, 2005, published <i>vide</i> number G.S.R. 318(E), dated the 16 th May, 2005	In the said notification, in the second proviso, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
22.	Notification No. 81/2005-Customs, dated the 8 th September, 2005, published <i>vide</i> number G.S.R. 569(E), dated the 8 th September, 2005	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
23.	Notification No. 102/2007-Customs, dated the 14 th September, 2007, published <i>vide</i> number G.S.R. 598(E), dated the 14 th September, 2007	In the said notification, in the fourth paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
24.	Notification No. 26/2011-Customs, dated the 1 st March, 2011, published <i>vide</i> number G.S.R. 152(E), dated the 1 st March, 2011	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
25.	Notification No. 23/2016-Customs, dated the 1 st March, 2016, published <i>vide</i> number G.S.R. 217(E), dated the 1 st March, 2016	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
26.	Notification No. 05/2017-Customs, dated the 2 nd February, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 89(E), dated the 2 nd February, 2017	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
27.	Notification No. 16/2017-Customs, dated the 20 th April, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 394(E), dated the 20 th April, 2017	In the said notification, in the second paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
28.	Notification No. 29/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 764(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the third paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
29.	Notification No. 30/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 765(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the third paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
30.	Notification No. 32/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 767(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the third paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.

31.	Notification No. 37/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 772(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the fourth paragraph, for the words and numbers "31st March, 2024", the words and numbers "30th September, 2024" shall be substituted.
32.	Notification No. 49/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 784(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the fourth paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.
33.	Notification No. 52/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published <i>vide</i> number G.S.R. 787(E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the third paragraph, for the words and numbers "31 st March, 2024", the words and numbers "30 th September, 2024" shall be substituted.

[F. No.190352/01/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secv.

Note:

- The principal notification No. 16-Customs, dated the 23rd January, 1965 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 126 (E), dated the 23rd January, 1965 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 2. The principal notification No. 80-Customs, dated the 29th August 1970 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1246 (E), dated the 29th August, 1970 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 3. The principal notification No. 46-Customs, dated the 25th May, 1974 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 503 (E)dated the 25th May,1974 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 4. The principal notification No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 617(E), dated the 2ndAugust, 1976 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 5. The principal notification No. 207/89-Customs, dated the 17th July, 1989 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E) dated the 17th July, 1989 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 6. The principal notification No. 134/94-Customs, dated the 22nd June, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 525(E), dated the 22ndJune, 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 7. The principal notification No. 147/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 576(E), dated the 13thJuly, 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 8. The principal notification No. 148/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 577(E), dated the 13thJuly, 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 9. The principal notification No. 151/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 580(E), dated the 13thJuly,

- 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 10. The principal notification No. 152/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 581(E), dated the 13thJuly, 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 11. The principal notification No. 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 13thJuly, 1994 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 12. The principal notification No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 23rdJuly, 1996 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 13. The principal notification No. 50/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 302(E), dated the 23rdJuly, 1996 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 14. The principal notification No. 51/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rdJuly, 1996 and was last amended vide notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 15. The principal notification No. 25/98-Customs, dated the 2nd June, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 290(E), dated the 2nd June, 1998 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 16. The principal notification No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1998, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1998 and was last amended *vide* notification No. 06/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 1st February, 2023.
- 17. The principal notification No. 97/99-Customs, dated the 21st July, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 544(E), dated the 21st July, 1999 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 18. The principal notification No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 06/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 1st February, 2023.
- 19. The principal notification No. 113/2003-Customs, dated the 22nd July, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 572(E), dated the 22ndJuly, 2003 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 20. The principal notification No. 30/2004-Customs, dated the 28th January, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 81(E), dated the 28thJanuary, 2004 and was last amended vide notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February,

- 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 21. The principal notification No. 45/2005-Customs, dated the 16th May, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 318(E), dated the 16th May, 2005 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 22. The principal notification No. 81/2005-Customs, dated the 8th September, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 569(E), dated the 8th September, 2005 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 23. The principal notification No. 102/2007-Customs, dated the 14th September, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 598(E), dated the 14thSeptember, 2007 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 24. The principal notification No. 26/2011-Customs, dated the 1st March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 152(E), dated the 1st March, 2011 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 25. The principal notification No. 23/2016-Customs, dated the 1st March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 217(E), dated the 1st March, 2016 and was last amended vide notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023...
- 26. The principal notification No. 05/2017-Customs, dated the 2nd February, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 89(E), dated the 2ndFebruary, 2017 and was last amended vide notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 27. The principal notification No. 16/2017-Customs, dated the 20th April, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 394(E), dated the 20th April, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 28. The principal notification No. 29/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 764(E), dated the 30thJune, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 29. The principal notification No. 30/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 765(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 30. The principal notification No. 32/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 767(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 31. The principal notification No. 37/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 772(E), dated the 30thJune, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published

- in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 32. The principal notification No. 49/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 784(E), dated the 30thJune, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.
- 33. The principal notification No. 52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 12/2023-Customs, dated the 1st February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 77(E), dated the 1st February, 2023.